CSIR-CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS
(COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)
RESEARCH CENTRE, PANTNAGAR
PO: DAIRY FARM, NAGLA-263 149
CSIR-CIMAP **DISTRICT – UDHAM SINGH NAGAR, UTTARAKHAND, INDIA**

संख्याः सी0आर0सी0 / पन्त / सा0–3(I) / 72 दिनांकः 17 / 05 / 2022

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्व वन प्रभाग, हल्द्वानी
नैनीताल, उत्तराखण्ड

विषय : Proposal for renewal of diversion of 115.79 hectare of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 for CSIR-Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Research Centre, Pantnagar for cultivation of medicinal and aromatic plants under Udham Singh Nagar, Uttarakhand.

संदर्भ : भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रॉंक 8–41 / 2000–FC(Vol) दिनॉंक 16.07.2021 एवं आपका पत्रॉंक 4757 / 12–1 दिनांक 05 / 05 / 2022

महोदय,

आपके पत्रॉंक 4757 / 12–1 दिनांक 05 / 05 / 2022 के अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दू संख्या vi/ बिन्दू संख्या v में मागी गई वांक्षित सुचना / विस्तृत आख्या निम्नवत हैः–

1. उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार के उक्त पत्रॉंक के बिन्दु संख्या vi में यह उल्लेख है कि The State Govt. also to submit the details that in actually how much area is still used for non-forestry purposes से सम्बन्धित सूचना आपके द्वारा दी जानी थी। आप द्वारा कुल 115.79 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में लिखा गया है, कृपया स्पष्ट करें कि कितनी वन भूमि का वास्तविक रूप से गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा है, उससे सम्बन्धित विस्तृत सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें, तथा शेष भूमि में क्या–क्या कार्य आपके द्वारा सम्पादित किये जा रहें है, इससे सम्बन्धित विस्तृत सूचना आपके स्तर से दिया जाना अपेक्षित है।

   CSIR-CIMAP is a premier National Laboratory of Council of Scientific & Industrial Research, Department of Scientific and Industrial Research, under the Ministry of Science & Technology, Govt. of India. The Laboratory has been actively contributing the promotion of Medicinal and Aromatic Plants (MAPs) at the National level. The land of the centre is engaged in major activities like collection, conservation, morphological and chemical characterization; Genetic improvement and Agro technology developments; large scale production of Quality Planting Materials (QPMs); development of post-harvest technologies of MAPs; Agro advisory and promotion of MAPs cultivation; training/awareness and field demonstrations for the farmers and entrepreneurs; agro entrepreneurships development by promoting MAPs.

The details of the use of the leased land (115.79 ha) are as under:

Block	Purpose (MAPs Grown/cultivated)*	Area	Block	Purpose (MAPs grown/cultivated)	Area
A	Building, hut, geranium and Aswagandha, Sarpgandha, Aloe Vera, Vach planting, R&D block with drip irrigation	1.573	B	Opium, Lemongrass, Popular plantation	2.073
C	Satavar, Opium, intercropping with Arjun and casuarina, Rose	2.001	D	Poplar and Eucalyptus (Agroforestry), Rose cultivation	1.896
E	Lemongrass, Rose, Mentha, Vetiver	2.245	F	Lemongrass and Mints	2.183
G	Rauvolfia, Palmarosa, Lemongrass, Vetiver, Cannabis	1.954	H	Vetiver and Lemongrass	1.714
I	Lemongrass and Vetiver	1.310	J	Vetiver and Citronella	3.846
K	Lemongrass and Opium	2.691	L	Office building, Farm, threshing floor, distillation units, citronella, Palmarosa, Prakriti park, Germplasms and other MAPs conservatories	5.139
M	Lemongrass and Mentha	2.914	N	Lemongrass and Mentha	10.620
O	Mentha, Green Manuring with Dhencha, Geranium, Peppermint, Vetiver	7.942	P	R&D Block for MAPs, Mentha, Green manure, Lemongrass, Aswagandha, Turmeric, Vetiver	8.108
Q	Mentha	2.693	R	Lemongrass and Palmarosa	2.973
S	Citronella and Vetiver	4.265	T	Vetiver and Peppermint	6.026
U	Citronella and Vetiver	2.048	V	Mint, Lemongrass, Turmeric, Satawar, aromatic grass conservatory	3.667
W	R&D experiments on different MAPs	2.942	Others	Covered by Road, gardens, staff quarters, labour shed and other office infrastructures	22.252
			Others	Reserve forest with Natural water resource (Canal)	10.71
Total Area					115.79

*The MAPs crop in respective blocks of the land change season to season as per cropping systems.

The nature of our work is related with enhancing green cover not only on the land alloted to us but on the multifold land across the country by developing improved varieties and agro-technology of high value crops. These activities are more or less related to forestry and the land is being used for R&D on Medicinal and Aromatic Plants.

2. बिन्दु संख्या v में यह उल्लेख है कि Extant proposal is a non- site specific which can be taken up over non-forest land. The State Government also requested to submit its comments on whether alternative option have been explored to shift the facility to non forest land के सम्बन्ध में भी स्पष्ट आख्या आपके स्तर से नहीं दी गयी है, कृपया इस सम्बन्ध में भी विस्तृत आख्या देने का कष्ट करें ।

CSIR-Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Research Centre, Pantnagar, was set up in February 1963 by the name of Northern Zonal Centre of Central Indian Medicinal Plants Organization (CIMPO) at Haldwani with farm in Terai region of Udhamsingh Nagar and later it extended upto 115.79 ha (leased land). CSIR-CIMAP, Research Centre, Pantnagar is working on research and development related to medicinal and aromatic plants with special emphasis to upliftment of socio-economic standards of the

farmers/public of the Uttarakhand by promotion of MAPs cultivation. The current location/site of the centre is enriched with natural resources such as fertile land and water resource and agroclimatic conditions for cultivation of Medicinal and Aromatic Plants (MAPs) for the purpose of research and development for promotion in national level for public interest. The centre was developed in the leased land with well-equipped R&D infrastructures like office buildings, pilot scale distillation units, boilers, glass houses, poly houses, Green net houses, guest house, staff quarters, irrigation tube wells, underground irrigation systems, fencing of leased land, and agricultural research farm machinery and implements for R&D on medicinal and aromatic plants. The R&D activites undertaken on the leased land by CSIR-CIMAP, Research Center, Pantnagar are of continuing nature which contribute to the socio-economic developemnt of farmers by creating livelihood opportunities in rural sector.

It will be difficult to shift/relocate the entire infrastructure to the completely different place as it will adversely hamper R & D activities and will have huge cost to the public exchequer.

Keeping in view of the use of the leased land for the above purpose, the alternative options are not possible and feasible in public interest. Therefore, the lease renewal of the land (115.79 ha) is necessary and it may kindly be granted in public interest for research and devlopment purpose.

महोदय भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अन्य बिन्दूओं (i-iv) पर विभाग द्वारा बिन्दूवार अपनी आख्या पूर्व मे प्रेषित की जा चुकी है (संलग्नक–1).

भवदीय,

(राजेन्द्र चन्द्र पडलिया)
प्रभारी वैज्ञानिक

प्रतिलिपि:

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून के सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के सूचनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, निदेशक, वैऔ0अ0प0–सीमैप लखनऊ के सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रशासनिक अधिकारी, वैऔ0अ0प0–सीमैप लखनऊ के सूचनार्थ प्रेषित।
5. कार्यालय प्रति।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfotea@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250198

पत्रांक 4757 / 12–1 हल्द्वानी, दिनांक 05/05./2022

सेवा में,

प्रभारी
केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान,
पन्तनगर, नगला जनपद ऊधमसिंह नगर।

विषय :– Proposal for renewal of diversion of 115.79 hectare of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 for Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants of Lucknow field Station for cultivation of medicinal and aromatic plants under Udham Singh Nagar, Uttrakhand.

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8–41/2000–FC(Vol) दिनांक 16.07.2021 एवं आपका पत्रांक सी0आर0सी0/पन्त/सा0–3(i)/2021/325 दिनांक 26.09.2021।

महोदय,

(1) उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार के उक्त पत्रांक के बिन्दु संख्या vi में यह उल्लेख है कि The State Govt. also to submit the details that in actually how much area is still used for non-forestry purposes से सम्बन्धित सूचना आपके द्वारा दी जानी थी। आपके द्वारा कुल 115.79 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में लिखा गया है, कृपया स्पष्ट करें कि कितनी वन भूमि का वास्तविक रूप से गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा है, उससे सम्बन्धित विस्तृत सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें, तथा शेष भूमि में क्या–क्या कार्य आपके द्वारा सम्पादित किये जा रहे हैं, इससे सम्बन्धित विस्तृत सूचना आपके स्तर से दिया जाना अपेक्षित है।

(2) बिन्दु संख्या v में यह उल्लेख है कि Extant proposal is a non-site specific which can be taken up over non-forest land. The State Government also requested to submit its comments on whether alternative options have been explored to shift the facility to non-forest land के सम्बन्ध में भी स्पष्ट आख्या आपके स्तर से नहीं दी गयी है, कृपया इस सम्बन्ध में भी विस्तृत आख्या देने का कष्ट करें।

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र का पुनः अवलोकन करने का कष्ट करें तथा बिन्दुवार स्पष्ट आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि वांछित सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

भवदीय

(दिनकर तेवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक– 4757/12–1/ उक्त दिनांकित।
प्रतिलिपि– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।

(दिनकर तेवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

File No.8-41/2000-FC(Vol)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
****

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Raod, Aliganj
New Delhi – 110003
Dated: 19th July, 2021

To
The Secretary Incharge (Forest,)
Forest Department,
Government of Uttarakhand
Dehradun

Sub: Proposal for renewal of diversion of 115.79 hectare of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 for Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants of Lucknow field Station for cultivation of medicinal and aromatic plants under Udham Singh Nagar, Uttrakhand

Sir,

I am directed to refer to the Uttarakhand's online proposal no. FP/UK/Others/77955/2020 dated 28.05.2021 regarding above-mentioned subject. After scrutiny of the proposal submitted through online on **PARIVESH** portal of the Ministry, the following deficiencies are observed:

i. Detail of compensatory land made available in lieu of approval granted in the past needs to be provided by the State Government along with **KML/Shape** files and status of its notification under the IFA, 1927 as applicable, afforestation, etc. needs to be intimated by the State Govt.

ii. Details of NPV, if any realized from the user agency, in the past needs to be intimated by the State Govt. along with prescribed proforma for confirmation of the CA levied.

iii. Comments of the CWLW on the observation of the DFO regarding location of the area in **the Shivalik Elephant Reserve**.

iv. Status of compliance of conditions stipulated in the approval dated 15.06.2002 may be intimated by the State Govt.

v. Extant proposal is a non-site specific which can be taken up over non-forest land. The State Government also requested to submit its comments on whether alternative options have been explored to shift the facility to non-forest land.

vi. The State Govt. also to submit the details that in actually how much area is still used for non-forestry purposes.

2. Accordingly, you are requested to submit the above mentioned information at the earliest.

Yours faithfully,
19/07/2021

(Shrawan Kumar Verma)
Deputy Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Uttarakhand, Dehradun. The Regional Officer, MoEF&CC, Integrated Regional Office Dehradun.
2. The Nodal Officer, (FCA), Forest Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.
3. User Agency.
4. Monitoring Cell, FC Division, MoEF & CC, New Delhi.
5. Guard File.

संलग्नक–1

CSIR-CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS

(COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)
RESEARCH CENTRE, PANTNAGAR
PO: DAIRY FARM, NAGLA-263 149
DISTRICT – UDHAM SINGH NAGAR, UTTARAKHAND, INDIA
CSIR-CIMAP

संख्याः सी0आर0सी0 / पन्त / सा0–3(i) / 2021 / 325-327 दिनांकः 26 / 09 / 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

संदर्भः पत्रांक 1210 / 12–1 हल्द्वानी, दिनांक 02 / 09 / 2021 ।

विषयः **Proposal for renewal of division of 115.79 hectare of land under forest (Conservation) Act, 1980 for Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants of Lucknow field station for cultivation of medicinal and aromatic plants under Udham Singh Nagar, Uttarakhand.**

प्रिय महोदय,

आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्रांक के अनुपालन में आप द्वारा मांगी गई वांक्षित सुचना कम संख्या 1 से 06 का कमवार जवाब निम्नवत है:

1. Details of compensatory land made available in lieu of approval granted in the past needs to be provided by the state Government along with KML/Shape files and status of its notification under the IFA,1927 as applicable, afforestation, etc needs to be intimated by the state Govt.
   – इस बिन्दु पर अपनी आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें।

   क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व मे राज्य सरकार द्वारा कोई भी भूमि आवंटित नही की गयी है शासनादेश संख्या–जी0आई0–485 / 7–1–2002–800 / 2000 दिनांक 15.06.2002 संलगन है। (बिन्दू संख्या 11 का अवलोकन करें)(संलग्नक–1)।

2. Details of NPV, if any realized from the user agency, in the past need to be intimated by the state Govt. along with prescribed Performa for confirmation of the CA levied – इस बिन्दु के क्रम में अपनी आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें।

   शासनादेश संख्या– जी0आई0–485 / 7–1–2002–800 / 2000 दिनांक 15.06.2002 के बिन्दू संख्या 14 का अवलोकन करें (संलग्नक–1) जिसमें वन भुमि का मूल्य नही लिया गया है।

3. Comments of the CWLW on the observation of the DFO regarding location of the area in The Shivalik Elephant Reserve. – इस बिन्दु पर प्रभाग स्तर से आवश्यक प्रमाण पत्र तैयार कर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के हस्ताक्षर हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

   आपके पत्रांक संख्या 1210 / 12–1 दिनांक 02.09.2021 के अनुसार उपप्रभागीय वनाधिकारी, गौला एवं वन क्षेत्राधिकारी, गौला द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

4. Status of compliance of conditions stipulated in the approval dated 15.06.2002 may be intimated by the State Govt. – उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–जी0आई– 485 / 7–1–2002–800 / 2000 दि0 15.06.2002 का बिन्दुवार भलि–भांति अवलोकन कर लिया जाय तथा बिन्दुवार स्पष्ट आख्या तदोनुसार प्रेषित किया जाये।

26/09/2021

Mail:crcpant@cimap.res.in: Ph:05944-234445/9756601234, 235190,Tel.Fax: 234712

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– जी0आई0–485 / 7–1–2002–800 / 2000 दिनांक 15.06.2002 के सापेक्ष विन्दुवार आख्या संलग्न है (संलग्नक–2) उपरोक्त आख्या कार्यालय पत्राचार संख्या सी0आर0सी0 / पन्त / सा0–3(i) 213–215 दिनांकित 06.08.2021 के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को प्रेषित की जा चुकी है।

5. Extant proposal is a non-site specific which can be taken up over non-forest land. The state Government also requested to submit its comments on whether alternative option have been explored to shift the facility to non-forest land. – इस बिन्दु के अनुपालन मे अपनी विस्तृत आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि तदोनुसार आख्सा उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

सीमैप अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर को लीज पर दी गयी वन भुमि 115.79 हे0 का प्रयोग औषधीय एवं सगंध पौधों पर शोध, विकास प्रसार हेतु किया जा रहा है। केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान द्वारा तैयार औषधीय एवं सगंध पौधों को उत्तराखण्ड एवं देश के विभिन्न राज्यों में औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भेजा जाता है। सीमैप अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर को लीज पर दी गयी वन भुमि (115.79) हे0 औषधीय एवं सगंध पौधों पर शोध, विकास प्रसार में एक अहम भूमिका निभा रही है एवं इसकी महत्वता को देखते हुए देशहित में उक्त वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा दीये गये प्रस्ताव में उक्त भूमि का उपयोग एवं सम्बंधित विवरण दिया गया है।

6. The State Govt. also to submit the deails that in actually how much area is still used for non-forestry purpouses. . – इस बिन्दु पर भी आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें।

सीमैप अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर को लीज पर दी गयी वन भुमि (115.79) हे0 का प्रयोग औषधीय एवं सगंध पौधों पर शोध, विकास प्रसार में एक अहम भूमिका निभा रही है इसकी महत्वता को देखते हुए पुनः 115.79 हे0 वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है।

भवदीय,

(राजेन्द्र चन्द्र पडलिया)
प्रभारी वैज्ञानिक

26/09/2021

प्रतिलिपिः

1 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के सुचनार्थ प्रेषित।
2 वन संरक्षक, पश्चिमी वृत, उत्तराखण्ड,हल्द्वानी के सुचनार्थ प्रेषित।
3 कार्यालय प्रति।

(राजेन्द्र चन्द्र पडलिया)
प्रभारी वैज्ञानिक

26/09/2021

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक 1210 / 12–1 हल्द्वानी, दिनांक 2/9/. 2021

सेवा में,

प्रभारी केन्द्रीय औषधीय एवं
सगन्ध पौध संस्थान,
पन्तनगर, नगला
जनपद–ऊधमसिंह नगर।

विषयः– Proposal for renewal of diversion of 115.79 hectare of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 for Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants of Luknow fields station for cultivation of medicinal and aromatic plants under Udham Singh Nagar, Uttarakhand.

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8–41/2000–FC (Vol) date: 19 july 2021 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–510/12–1 दि0–03.08.2021 एवं आपका पत्रांक–सीआरसी/पंत/सा0–3(1)/2013 दि0–06.08.2021।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जैसाकि भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है, आपके स्तर से जिन बिन्दुओं पर सूचना दी जानी है उनका विवरण निम्न प्रकार है:–

1. Details of compensatory land made available in lieu of approval granted in the past needs to be provided by the State Government along with KML/Shape files and status of its notification under the IFA, 1927 as applicable, afforestation, etc. needs to be intimated by the State Govt. –इस बिन्दु पर अपनी आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें।

2. Details of NPV, if any realized from the user agency, in the past needs to be intimated by the State Govt. along with prescribed Performa for confirmation of the CA levied. –इस बिन्दु के क्रम में अपनी आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें।

3. Comments of the CWLW on the observation of the DFO regarding location of the area in The Shivalik Elephant Reserve. –इस बिन्दु पर प्रभाग स्तर से आवश्यक प्रमाण पत्र तैयार कर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के हस्ताक्षर हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

4. Status of compliance of conditions stipulated in the approval dated 15.06.2002 may be intimated by the State Govt. –उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–जी0आई0–486/7–1–2002–800/2000 दि0 15.06.2006 का बिन्दुवार भलि–भांति अवलोकन कर लिया जाय तथा बिन्दुवार स्पष्ट आख्या तदोनुसार प्रेषित किया जाये।

5. Extant proposal is a non-site specific which can be taken up over non-forest land. The State Government also requested to submit its comments on whether alternative options have been explored to shift the facility to non-forest land. –इस बिन्दु के अनुपालन में अपनी विस्तृत आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि तदोनुसार आख्या उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

(Signature) 14/9/2021
Sh. K. Lal

6. The State Govt. also to submit the details that in actually how much area is still used for non-forestry purposes. –इस बिन्दु पर भी अपनी आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

पत्रांकः– 1210/ उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

पत्रांकः– 1210/ उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपिः– उपप्रभागीय वनाधिकारी, गौला एवं वन क्षेत्राधिकारी, गौला को भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित बिन्दु संख्या–3 के अनुपालन में शिवालिक हाथी रिजर्व के सम्बन्ध में वांछित प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदोनुसार आख्या मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की जा सके।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

पत्र आपके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

प्रभारी प्रशासनिक, [illegible] 26/09/2021

26/9/21

CSIR-CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS
(COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)
RESEARCH CENTRE, PANTNAGAR
PO: DAIRY FARM, NAGLA-263 149
DISTRICT – UDHAM SINGH NAGAR, UTTARAKHAND, INDIA

CSIR-CIMAP

संख्या सीआरसी/पन्त/सा0–3(1)/213-215 दिनांक 06/08/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

संदर्भ : पत्रॉंक संख्या–510/12–1 हल्द्वानी, दिनाँकित 3/8/2021

विषय : Proposal for renewal of diversion of 115.79 hectare of forest land under forest (Conservation) Act 1980 for Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants of Lucknow, Field station for cultivation of medicinal and aromatic plants under Udham Singh Nagar, Uttarakhand

महोदय,

आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्रॉंक के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–जी0आई0–485/7–1–2002–800/2000 दिनांकित 15.06.2002 चाही गयी बाँछित सूचना आपके सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,
(राजेन्द्र चन्द्र पडलिया)
प्रभारी वैज्ञानिक

06/08/2021

प्रतिलिपिः

1. प्रशासन नियंत्रक, सीमैप लखनऊ के सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. सचिव, निदेशक महोदय, सीमैप लखनऊ के सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. कार्यालय प्रति।

Mail:crcpant@cimap.res.in: Ph:05944-234445/9756601234, 235190,Tel.Fax: 234712

संख्या–जी0आई0:– 485 /7–1–2002–800/2000

प्रेषकः–

श्री राजेन्द्र कुमार
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तरांचल,देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग

देहरादूनः दिनांक जून 15, 2002

विषयः– जनपद–उधमसिंह नगर में केन्दीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के फील्ड स्टेशन, पंत नगर को पूर्व में दी गई 115.79 हे0 आरक्षित वन भूमि की लीज का कालातीत होने की तिथि से आगामी 20 वर्षो के लिये नवीनीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्याः–2816 /1–जी–609 (उधम0) दिनांक 15–6–2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–उधमसिंह नगर में केन्दीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के फील्ड स्टेशन, पंत नगर को पूर्व में दी गई 115.79 हे0 आरक्षित वन भूमि की लीज का कालातीत होने की तिथि से आगामी 20 वर्षो के लिये नवीनीकरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8–41/2002–एफ सी दिनांक 21–7–2000 में दी गई स्वीकृति तथा मा0 मंत्रि परिषद् के आदेश दिनांक 3–6–2002 के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रस्तावक विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रस्तावक विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा, प्रस्तावक विभाग द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रस्तावक विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रस्तावक विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. परियोजना क्षेत्र में अनुसंधान प्रयोजन हेतु उगाये गये पेड़ों का पातन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात एक निर्धारित योजना के तहत ही किया जा सकेगा।
6. प्रस्तावक विभाग द्वारा लीज पर दी गयी वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा तथा वन भूमि पर कोई गैर वानिकी कार्य यथा– भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि कार्य नही किये जायेंगे।
7. लीज पर दी गई वन भूमि में प्राकृतिक रूप से उगे हुये वृक्षों का पातन नही किया जायेगा ।
8. परियोजना के अधिकारियों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों द्वारा वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाय।
9. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

10. परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुंचाये इसके लिए प्रस्तावक विभाग ईंधन की लकड़ी अथवा अन्य वैकल्पिक ईंधन सामग्री उपलब्ध करायेगा ।
11. प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लघंन के फलस्वरूप 0.86 एकड़ वन भूमि में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।
12. वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।
13. प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तद्परान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा ।
14. मा0 मंत्रि परिषद् के अशासकीय पत्र संख्या–4/2/10/2002–सी0एक्स0 दिनांक 3–6–2002 द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार प्रस्तावक विभाग से वन भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा व पूर्व की भाँति 1 रूपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से लीज रेंट लिया जायेगा।
15. प्रस्तावक द्वारा उक्त शर्तो एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयरिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्या: 198/7–जी–री–89–3–89, दिनांक 19–6–89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक–'0070'–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01–की गई सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।
16. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ तथा राज्य सरकार द्वारा वनो एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये समय–समय पर लगाये जाने वाली शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव

संख्या– 485 /7–1–2002–800/2000 दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0काम्पलेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, बी–1/72 सैक्टर (के), अलीगंज, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल प्रकोष्ठ, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
5. निजी सचिव, मा0 वन मंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
6. जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
8. श्री सुमनप्रीत सिंह खनूजा, निदेशक, केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, कुकरैल पिकनिक स्पॉट रोड, पी0ओ0–सिमैप, लखनऊ–226015

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– जी0आई0–485/7–1–2002–800/2000 दिनांक 15.06.2002 द्वारा पूर्व में दी गयी सशर्त स्वीकृत अनुपालन आख्या निम्नवत है:–

1. वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नही हुआ है और ना ही होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी। प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जा रहा है अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नही।

2. प्रस्तावक विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित नही करेगा।

प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्वावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नही किया है/ना ही करेगा।

3. प्रस्तावक विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नही पहुंचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोइ क्षति पहुचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, तो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा, प्रस्तावक विभाग द्वारा देय होगा।

प्रस्तावक विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी गयी है और ना ही पहुँचायेंगें। ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भूगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके प्रस्तावक विभाग सहमत है।

4. उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक किसी प्रस्तावक विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रस्तावक विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की अवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी।

6/8/2024

प्रस्तावक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी।

5. परियोजना क्षेत्र में अनुसंधान प्रयोजन हेतु उगाये गये पेड़ों का पातन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात एक निर्धारित योजना के तहत ही किया जा सकेगा।

वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड, वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

6. प्रस्तावक विभाग द्वारा लीज पर दी गयी वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा तथा वन भूमि पर कोई गैर वानिकी कार्य यथा–भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि कार्य नही किये जायेंगे।

प्रस्तावक विभाग द्वारा लीज पर दी गयी वन भूमि पर कोई गैर वानिकी कार्य यथा–भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि कार्य नही किये जायेंगे।

7. लीज पर दी गयी वन भूमि में प्राकृतिक रूप से उगे हुये वृक्षों का पातन नही किया जायेगा।

वन भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे हुये वृक्षों का पातन नही किया गया है/ना ही किया जायेगा।

8. परियोजना के अधिकारियों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों द्वारा वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रण न किया जाय।

लीज पर दी गयी वन भूमि पर परियोजना मे कार्यरत मजदूरों द्वारा वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रण नही किया गया है।

9. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

हस्तान्तरन वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही है।

-2

6/8/2021

10. परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुचाये इसके लिए प्रस्तावक विभाग ईधन लकड़ी अथवा अन्य वैकल्पिक ईधन सामग्री उपलब्ध करायेगा।

इस सम्बन्ध में प्रस्ताव में प्रपत्र–32 में इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है कि परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को केरोसीन/रसोई गैस आपूर्ति का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है (प्रस्ताव पृष्ट संख्या–40)।

11. प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लघंन के फलस्वरूप 0.86 एकड़ वन भूमि में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्राकं संख्या 4079/12–1 दिनांकित हल्द्वानी 0806.2011 द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार ड्राफ्ट संख्या 593449 दिनांक 24.06.2011 धनराशि रू0 17601/– को इस कार्यालय के पत्रांक संख्या सीआरसी/पन्त/सा–3(1)/242–43 दिनांक 24.06.2011 को अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि संरक्षण र्निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड देहरादून प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी नैनीताल के सूचनार्थ एवं अवश्यकीय कार्यवाही हेतु स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया जा चुका है (छाया प्रति संलग्न–)।

12. वन भूमि पर खडे वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।

वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

13. प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तद्परान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नही पहुंचाया जायेगा।

प्रस्तावक विभाग द्वारा स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नही पहुंचाया जायेगा।

14. मा0 मंत्रि परिषद् के अशासकीय पत्र संख्या–4/2/10/2002–सी0एक्स0 दिनांक 3.6. 2002 द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार प्रस्तावक विभाग से वन भूमि का मूल्य नही

6/8/2014

लिया जायेगा व पूर्व की भाँति 1 रूपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से लीज रेंट लिया जायेगा।

मा0 मंत्रि परिषद् के अशासकीय पत्र संख्या–4/2/10/2002–सी0एक्स0 दिनांक 3.6.2002 द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार प्रस्तावक विभाग को वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया गया है। प्रस्तावक विभाग भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अर्न्तगत कार्य करने वाली एक राष्ट्रीय संस्थान है जो भारत मे औषधीय एवं सगंध पौधों पर शोध एवं प्रसार का कार्य कर रही है अतः भविष्य मे भी यथावक प्रस्तावक विभाग से पूर्व की भाँति वन भूमि का मूल्य ना लिया जाय। लीज रेंट विभाग द्वारा भुगतान के लिए देय होगा।

15. प्रस्तावक द्वारा उक्त शर्तो एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्याः 198/7–जी–सी–89–3–89, दिनांक 19–6–89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01–की गई सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

पूर्व मे किये गये पट्टा विलेख के अतिरिक्त कोई अन्य पट्टा विलेख वन विभाग/प्रस्तावक विभाग के द्वारा नही किया गया है (पट्टा विलेख की छाया प्रति संलग्न–)।

16. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ तथा राज्य सरकार द्वारा वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समय–समय पर लगाये जाने वाली शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त आख्या सें सम्बंधित मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–29) ऑनलाईन प्रस्ताव एवं प्रस्तुत किये गये मूल प्रस्ताव मे भी सम्मलित है (पृष्ट संख्या–35)।

Rchadalia 6/8/2021
(राजेन्द्र चन्द्र पडलिया)
प्रभारी वैज्ञानिक

-4
06/08/2021

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक 510 / 12–1 हल्द्वानी, दिनांक 3 | 8 | 2021

सेवा में,

प्रभारी केन्द्रीय औषधीय एवं
स्कन्ध पौध संस्थान,
पन्तनगर, नगला
जनपद–ऊधमसिंह नगर।

विषयः– Proposal for renewal of diversion of 115.79 heactare of forest land under Forest (Conservation) Act,1980 for Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants of Luknow fields station for cultivation of medicinal and aromatic plants under Udham Singh Nagar, Uttarakhand.

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8–41 / 2000–FC(Vol) date: 19 july 2021।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र जो आपको पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर कमियों के निराकरण करने के निर्देश दिये गये है जिनका निराकरण किया जाना आपेक्षित है। अतः उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–जी0आई0:–485 / 7–1–2002–800 / 2000 दि0–15. 06.2002 द्वारा पूर्व में दी गयी सशर्त स्वीकृति की पूर्ण अनुपालन आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर चाही गयी वांछित सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की जा सकें। सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त संदर्भित पत्र एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश की प्रति आपको प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार–

भवदीय

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

पत्रांकः–510 / 12–1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।